राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र: एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि./10

जयपुर, दिनांक: 24 JUN 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय: **महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंचायत समिति में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों को संविदा आधार पर अनुबन्धित करने संबंधी।**
संदर्भ: **इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों में आंशिक संशोधन कर निर्देश दिये जाते है कि :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 10616/09 कमलेश मीणा व अन्य बनाम राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 31.01.2011 की पालना में याचिकाकर्ताओं के संबंध में शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक की उपाधि निर्धारित की जाती है। यह योग्यता रखने वाले सभी याचिकाकर्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावे। याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षणिक योग्यता इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.04.2011 के अनुसार ही रहेगी। याचिकाकर्ताओं को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने के लिए अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक निर्धारित किये जावे। एम.बी.ए. की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इस तरह अतिरिक्त अंक निर्धारित किये जावे। यह ध्यान रखा जावे कि याचिकाकर्ताओं के अनुभव एवं एम.बी.ए. की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए जोड़े जाने वाले अतिरिक्त अंक समान हो। वरियता सूची स्नातक की उपाधि में प्राप्त अंको के आधार पर बनाई जावे। जो याचिकाकर्ता निर्णय दिनांक 31.01.2011 से पहले ही अनुबंध सेवा को छोड़कर चले गये है या उन्हें अनुबंध की शर्तो के उल्लघंन के कारण हटा दिया गया हो तो उन्हें अनुभव का लाभ नहीं दिया जावे। जिन

यचिकाकर्ताओं का कार्य कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए संतोषजनक नहीं रहा है या उन्होंने इस अवधि में कोई अनियमितता की है या उनके विरूद्ध गबन आदि के मामले में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया गया है या स्वेच्छा से लम्बे समय से बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहे है या उनके विरूद्ध कोई गबन की राशि की वसूली की गई है तो उनके कार्य को संतोषजनक नहीं माना जाव एवं उन्हें चयन में प्राथमिकता नहीं दी जावे।

2. सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के चयन में आरक्षण के नियमों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिये गये है। आरक्षण का निर्धारण जिला स्तर पर पर किया जावे तथा इसी अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जावे।

3. यदि किसी जिले में इस पत्र के प्राप्त होने से पहले सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित कर चयन की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है तो उन मामलों में भी अब इस पत्र के अनुसार शेष रहे याचिकाकर्ताओं से भी आवेदन पत्र आमन्त्रित कर नये सिरे से वरियता सूची बनाकर कार्यवाही करें।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस